

हो।
visb

13/12/24

पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पूर्वानुसार दि. 7/25 को पेश हो।

7/1/25

पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पूर्वानुसार दि. 31/1 को पेश हो।

31/1/25

पत्रावली पेश हुई वकील प्राणी
उपस्थित। पत्रावली वाले पुनः
वहस दिनांक 7/2/25 को पेश
हो।
visb

23/4/2

24/4/2

7/2/25

पत्रावली पेश हुई वकील प्राणी
उपस्थित। प्राणी के अभि. की
शकपक्षीय वहस सुनी गई। और
वहस प्राणी के अभिभासक के
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने

0/2/2



हेतु त्रिवेदन किया।

पत्रावली का भूवलोकन किया,
प्राची के अभिभाषक के तर्कों पर
मनन किया गया। प्राथमिकी के
स्वविद्या का सन्तुलन, एवं अपूर्णनीय
भूति के विनु प्राची के पत्र में सवि
होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाना न्याय संगत है।

अतः इस न्यायालय द्वारा
जारी अन्तरिम आस्था निषेधाज्ञा
दिनांक 24-02-2023 को तात्कालीन
वाइ तक रूफर्म किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो मूल वाइ के
साथ जुज हो।

isb